

105808

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 381

दिनांक 29/05/2019



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र  
( अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन )

नवीकरण संख्या 261 पत्रावली संख्या ए0एल0-26399 दिनांक 2009-2010

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गुरुकुल शिक्षा सेवा  
संस्थान , 2डी, लिडिल रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 36/2009-10 दिनांक 17-04-2009 को दिनांक  
17-04-2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1150 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 28-05-2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश

**कार्यालय:- सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एण्ड चिट्स इलाहाबाद**

संख्या ३७७५ /AL-26399/2011-12/ इलाहाबाद दिनांक 21-9-2011

सेवा में,

श्री जितेन्द्र सिंह-मंत्री  
गुरुकुल शिक्षा सेवा संस्थान  
पता- 2डी लिडिल रोड जार्ज टाउन  
जिला- इलाहाबाद

**विषय- सूचनाधिकार अधिकांर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 21.09.2011 के सम्बन्ध में सूचित करना है कि सोसाइटीज रजि0अधि0 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत पूर्त सोसाइटियों, सेना अनाथ निधि, विज्ञान, साहित्य अथवा ललित कला के सम्बर्धन के लिए, उपयोगी जानकारी के अनुदेश, प्रसार के लिए, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए सदस्यों के सामान्य उपयोग अथवा साधारण व्यक्तियों के उपयोग के लिए पुस्तकालयों अथवा वाचनालयों अथवा लोक संग्रहालयों और चित्रकला दीर्घाओं और अन्य कला कृतियों के प्रतिष्ठापन अथवा अनुरक्षण, नैसर्गिक इतिहास के एकत्रण यान्त्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, दस्तावेज या परिकल्पना के लिए तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु सोसाइटियों का पंजीकरण होता है। लाभ के लिए पंजीकरण नहीं होता है सूचनार्थ।

भवदीय

(प्रदीप कुमार)

सहायक रजिस्ट्रार